(67)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः—एफ. 3(313)नविवि / 3 / 2011 जयपुर,दिनांकः— 2 MAY 2016

आदेश

राज्य सरकार द्वारा कृषि भूमि के अकृषि उपयोग की अनुमति के संबंध में दिनांक 17.06.99 से पूर्व की योजनाओं के हस्तांतरित भूखण्डों के नियमन प्रक्रिया, नियमन शुल्क तथा पंजीयन के संबंध में आ रही विभिन्न कठिनाईयों के दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान जारी आदेश क्रमांक प.3(54)नविवि / 3 / 2011 दिनांक 17.10.2012 के बिन्दु संख्या 1(vi) जिसके द्वारा दिनांक 17.06.1999 से पूर्व की योजनाओं के अपंजीकृत दस्तावेज की क[illegible] डेट (cut of date) दिनांक 30.09.2012 की गई थी, जिसे बाद में दिनांक 30.09.2012 के स्थान पर 31.05.13 निर्धारित कर दिया गया था।

अब राज्य सरकार द्वारा सक्षम स्तर पर लिए गए निर्णयानुसार दिनांक 17.06.99 से पू[illegible] की योजनाओं के हस्तान्तारेत भूखण्डों के नियमन हेतु अपंजीकृत दस्तावेज प्रस्तुत करने की कट ऑफ डेट दिनांक 31.05.2013 पहले ही निर्धारित है। उक्त दस्तावेज रियायती दर पर पंजीयन हेतु प्रस्तुत करने की दिनांक पहले आदेश एफ 3(54)नविवि / 3 / 2011पार्ट दिनांक 23.07.2015 के द्वारा 30.11 2015 निर्धारित की गई थी। अब वित्त (कर डिवीजन) की अधिसूचना क्रमांक एफ4(6)वित्त / कर / 2016–215 दिनांक 08.03.2016 द्वारा दिनांक 31.05.2013 तक के अंपजीकृत दस्तावेज रियायती दर पर पंजीयन हेतु प्रस्तुत करने की बढाई गई है। तदनुसार उक्त दस्तावेज दिनांक 30.09.2016 तक ही नियमन हेतु मान्य होगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

2/5/16

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय

(171)

प्रतिलिपिः— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. सचिव (प्रथम), माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त/स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
6. शासन सचिव, वित्त राजस्व विभाग को उनकी आई.डी. क्रमांक 101502644 दिनांक 20.07.2015 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण है।
7. शासन सचिव, वित्त राजस्व विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
8. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, राजस्थान, जयपुर।
9. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण/जोधपुर विकास प्राधिकरण/अजमेर विकास प्राधिकरण।
10. सभी संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर।
11. संयुक्त शासन सचिव, प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु मय अतिरिक्त प्रति के।
14. मुख्य नगर नियोजक, नियोजक विभाग, राजस्थान जयपुर।
15. सचिव, नगर सुधार न्यास (समस्त), राजस्थान, जयपुर।
16. सचिव, समस्त नगर विकास न्यास।
17. समस्त अधिकारीगण, नगरीय विकास विभाग।
18. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव—द्वितीय